

भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड,
देहरादून।

संख्या: 65 / ई-निवि0सह0ई0नीला0/भू0खनि0ई0/चमोली/लॉट निर0/2018-19,
कार्यालय ज्ञाप

दिनांक: 10 अक्टूबर 2019 मार्च, 2019

भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड, भोपालपानी, देहरादून के ई-निविदा सह ई-नीलामी आमंत्रण प्रपत्र संख्या 001_Chamoli_Banjbagar_0.764ha/ई0निवि0सह0ई0नीला0/भू0खनि0ई0/2017-18, दिनांक 02 अगस्त, 2018 के द्वारा जनपद चमोली के स्थायी निवासी अथवा स्थायी निवासियों की समिति, जो कोआपरेटिव सोसाइटी एक्ट में पंजीकृत हो के लिए जनपद एवं चमोली के ग्राम बांजबगड, क्षेत्रफल 0.764 है0 पर्वतीय क्षेत्रान्तर्गत रिक्त उपखनिज क्षेत्र में उपलब्ध बालू, बजरी, बोल्टर (आर0बी0एम0) को ई-निविदा सह ई-नीलामी के माध्यम से आवंटन हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित की गयी थी।

2- उक्त उपखनिज क्षेत्र हेतु तकनीकी ई-निविदा दिनांक 24.08.2018 को खोली गयी थी। उक्त लॉट हेतु अधिकतम निर्धारित मात्रा 16808 टन एवं न्यूनतम निर्धारित मात्रा 8404 टन है। तदोपरान्त उक्त उपखनिज लॉट की वित्तीय निविदा दिनांक 30.08.2018 को खोली गयी।

3- उक्त लॉट हेतु दिनांक 24.08.2018 को खोली गयी प्रथम चरण की ई-निविदा में 03 निविदादाताओं द्वारा प्रतिभाग किया गया। तकनीकी निविदा के मूल्यांकन का परिणाम 28.08.2018 को घोषित किया गया, जिसमें उक्त 03 निविदाकारों की तकनीकी बोली को स्वीकृत करते हुए वित्तीय ई-निविदा बोली दिनांक 30.08.2018 को खोली गयी। प्राप्त ई-निविदाओं का मूल्यांकन करते हुए समिति द्वारा सुसंगत नियमों के अधीन निम्नानुसार संस्तुति प्रदान की गयी है :-

तालिका- 1

क्र0सं0	आवेदक का नाम/निवासी	यूनिक आई/बिडर आई0डी0	आवेदक की वित्तीय बोली
1.	श्री दर्शन सिंह बर्तवाल	47652/ M171227151207077	16,808 टन
2.	श्री प्रदीप सिंह	47683/M171226145837093	16,808 टन
3.	श्री हरी सिंह रावत	47759/M180711162303173	16,808 टन

जनपद एवं तहसील चमोली के ग्राम बांजबगड, क्षेत्रफल 0.764 है0 पर्वतीय क्षेत्रान्तर्गत हेतु प्रथम चरण में ई-निविदा में प्राप्त अधिकतम चाही गयी अंकित मात्रा उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 27 ग के उपनियम-11(5) के अनुसार 16,808 टन प्राप्त हुई।

जनपद एवं तहसील चमोली के ग्राम बांजबगड, क्षेत्रफल 0.764 है0 पर्वतीय क्षेत्रान्तर्गत हेतु उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 27 ग के उपनियम-11 प्रथम चरण के अनुसार द्वितीय चरण की ई-नीलामी की न्यूनतम बोली धनराशि (Floor price) = 16,0808 x 35.00 = रू0 5,88,280.00 (रू0 पांच लाख अट्ठासी हजार दो सौ अस्सी मात्र) निर्धारित की गयी।

कार्यालय ज्ञाप संख्या 447/ई0निवि0सह0ई0नीला0/परिणाम/चमोली/भू0खनि0ई0/2018-19, दिनांक 01 सितम्बर, 2018 के द्वारा जनपद एवं तहसील चमोली के ग्राम बांजबगड, क्षेत्रफल 0.764 है0 पर्वतीय क्षेत्रान्तर्गत हेतु समिति की संस्तुति पर प्रथम चरण की वित्तीय बोली के परिणाम के आधार पर द्वितीय चरण (ई-नीलामी) हेतु न्यूनतम बोली धनराशि (Floor price) रू0 5,88,280.00 (रू0 पांच लाख अट्ठासी हजार दो सौ अस्सी मात्र) निर्धारित की गयी।

4- ई-निविदा सह ई-नीलामी के द्वितीय चरण (ई-नीलामी) में प्रतिभाग करने हेतु उपरोक्त प्रथम चरण (ई-निविदा) के सफल निविदाकारों को कार्यालय के पत्र संख्या 001_Chamoli_Banjbagar_0.764ha/ई0निवि0सह0ई0 नीला0/भू0खनि0ई0/2017-18, दिनांक 12 सितम्बर, 2018 के माध्यम से ई-निविदा सह ई-नीलामी आमंत्रण प्रपत्र जारी किया गया, जिसकी सूचना विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कर, व्यक्तिगत दूरभाष तथा ई-मेल के द्वारा भी सभी उपरोक्त सफल निविदाकारों को दी गयी।

5- ई-निविदा सह ई-नीलामी के द्वितीय चरण (ई-नीलामी) में प्रतिभाग करने हेतु पूर्व निर्धारित तिथि 20.09.2018 सायं 5:00 बजे तक उक्त तालिका में वर्णित बोलीदाताओं द्वारा <https://eauction.gov.in> के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन प्रपत्र एवं वांछित अभिलेख अपलोड कर प्रस्तुत किये गये हैं।

6- उपरोक्तानुसार तालिका-1 में वर्णित सभी 03 इच्छुक बोलीदाताओं के आमंत्रण प्रपत्र तथा उसके साथ संलग्न वांछित अभिलेखों का परीक्षण/मूल्यांकन करने के उपरान्त समिति की संस्तुति के आधार पर सम्यक विचारोपरान्त उपरोक्त तालिका में वर्णित बोलीदाताओं को ई-निविदा सह ई-नीलामी आमंत्रण प्रपत्र में वर्णित तिथि एवं समय पर ऑनलाईन नीलामी प्रक्रिया में प्रतिभाग करने की अनुमति कार्यालय ज्ञाप संख्या 505/ई-निविदा सह ई-नीलामी/भूखनि0 ई0/2017-18, दिनांक 22 सितम्बर, 2018 के द्वारा प्रदान की गयी।

ई-नीलामी (द्वितीय चरण) में प्रतिभाग करने हेतु अनुमत किये गये निविदाकारों/बोलीदाताओं द्वारा दिनांक 24 सितम्बर, 2018 को अपराह्न 02:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक पूर्व निर्धारित समयान्तर्गत ई-नीलामी प्रक्रिया में प्रतिभाग किया गया, जिसके ऑन लाईन परिणाम eauction.uk.gov.in software के द्वारा ऑनलाईन परिणाम निम्नानुसार प्राप्त हुए हैं :-

क0सं0	बिडर मास्कड आई0डी0	उच्चतम बिड सबमिट करने की तिथि एवं समय	बिडर वैल्यू रू0
1.	20181456214193	24 सितम्बर, 2018 सायं 07:43 बजे	10370046.00
2.	20181456213613	24 सितम्बर, 2018 सायं 07:54 बजे	10399456.00
3.	20181456213627	24 सितम्बर, 2018 सायं 04:47 बजे	1502931.00

प्रतिभाग/निविदाकारों/बोलीदाताओं की संख्या 03 प्राप्त हुई है, जिसके द्वारा बोली गई उच्चतम बोली रू0 1,03,99,456.00 (रू0 एक करोड तीन लाख निन्यानवें हजार चार सौ छप्पन मात्र) उक्त तालिका में वर्णित है।

7- ई- ऑक्शन सॉफ्टवेयर के द्वारा प्रतिभागी निविदाकारों/बोलीदाताओं की मास्कड आई0डी0 हटाते हुए निम्नानुसार परिणाम प्रस्तुत किये गये, जिसकी घोषणा कार्यालय ज्ञाप संख्या 541/ई-निविदा सह ई-नीलामी/भूखनि0ई0/2017-18, दिनांक 05 अक्टूबर, 2018 के द्वारा की गई :-

क0 सं0	ई-ऑक्शन सॉफ्टवेयर में बिडर मास्कड आई0डी0/नाम (विभागीय वेबसाइट द्वारा निर्गत पंजीकरण सं0)	उच्चतम बिड सबमिट करने की तिथि एवं समय	बिडर वैल्यू रू0	उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली (संशोधित) 2017 के सुसंगत नियम 27 ग उपनियम द्वितीय चरण 5 के द्वारा
1	20181456213613/ Darshan Singh Bartwal (M171227151207077)	24 सितम्बर, 2018 सायं 07:54 बजे	10399456.00	H1
2	20181456214193/ Pardeep Singh (M171226145837093)	24 सितम्बर, 2018 सायं 07:43 बजे	10370046.00	H2
3	20181456213627/ Hari Singh Rawat (M180711162303173)	24 सितम्बर, 2018 सायं 04:47 बजे	1502931.00	H3

8- कार्यालय ज्ञाप संख्या 541/ई-निविदा सह ई-नीलामी/भूखनि0ई0/2017-18, दिनांक 05 अक्टूबर, 2018 के द्वारा ई- ऑक्शन सॉफ्टवेयर से प्राप्त परिणामों के आधार पर प्रतिभागी निविदाकारों/बोलीदाताओं को उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के सुसंगत नियम 27 (ग) उप नियम द्वितीय चरण (5) के द्वारा उपरोक्त वर्णित तालिकानुसार प्रतिभागी निविदाकार/बोलीदाताओं को उनके द्वारा दर्ज अंतिम उच्चतम बोली के आधार पर क्रमशः H1, H2, H3 घोषित किया गया।

09- कार्यालय ज्ञाप संख्या 541/ई-निविदा सह ई-नीलामी/भूखनि0ई0 /2017-18, दिनांक 05 अक्टूबर, 2018 द्वारा श्री दर्शन सिंह बर्तवाल (M171227151207077) को जनपद एवं तहसील चमोली के ग्राम बांजबगड, क्षेत्रफल 0.764 है0 पर्वतीय क्षेत्रान्तर्गत उपखनिज क्षेत्र से कुल 16,808 टन उपखनिज की निकासी हेतु उनके द्वारा बोली गयी उच्चतम बोली की कुल धनराशि रू0 1,03,99,456.00 (रू0 एक करोड तीन लाख निन्यानवें हजार चार सौ छप्पन मात्र) को ई-निविदा सह

ई-नीलामी प्रक्रिया के आवंटन हेतु H1 घोषित करते हुए को सूचित किया गया कि वे उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 28 (क) उपनियम (1) के अनुसार तीन दिन के अन्तर्गत बोली गई अधिकतम उच्चतम बोली का दस प्रतिशत धनराशि सफल बोलीदाता धनराशि अर्थात ₹0 10,39,946.00 (₹0 दस लाख उनतालीस हजार नौ सौ छियालीस मात्र) एवं नियम- 28 ख (3) के अनुसार सात कार्यदिवसों के अन्तर्गत दस प्रतिशत धनराशि प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक धनराशि अर्थात ₹0 10,39,946.00 (₹0 दस लाख उनतालीस हजार नौ सौ छियालीस मात्र) विभागीय लेखा शीर्षक में जमा कराते हुए ट्रेजरी चालान की प्रति एवं विभागीय वेबसाईट में पंजीकरण के दौरान प्रेषित समस्त अभिलेखों की मूल प्रतियां कार्यालय में जमा कराये, ताकि तदनुसार उनके पक्ष में आशय पत्र निर्गत किये जाने की कार्यवाही सम्पन्न की जा सके। H1 ई-नीलामी बोलीदाता श्री दर्शन सिंह बर्तवाल द्वारा कार्यालय ज्ञाप संख्या 541/ई-निविदा सह ई-नीलामी/भू0खनि0ई0/2017-18, दिनांक 05 अक्टूबर, 2018 का अनुपालन न करते हुए उच्चतम बोली धनराशि का 10 प्रतिशत "सफल बोलीदाता धनराशि" एवं उच्चतम बोली धनराशि का 10 प्रतिशत "प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक धनराशि" निर्धारित समयान्तर्गत जमा नहीं कराई गई है तथा अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 30.10.2018 के द्वारा अवगत कराया गया है कि वे उक्त लॉट में कार्य करने के इच्छुक नहीं है तथा द्वितीय बोलीदाता को टेण्डर की शर्तों के अनुसार पट्टा दिया जाता है तो प्रार्थी को उसमें कोई आपत्ति नहीं है।

उक्त के दृष्टिगत नियमावली के नियम 28क(2) के प्राविधानानुसार H1 ई-नीलामी बोलीदाता श्री दर्शन सिंह बर्तवाल (M171227151207077) को भी उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 28 (क) उपनियम (1) एवं नियम- 28ख(3) के अन्तर्गत कार्यवाही न किये जाने पर असफल ई-नीलामी बोलीदाता घोषित किया जाना तथा उनके द्वारा जमा अर्नेस्ट मनी भारतीय स्टेट बैंक द्वारा जारी डी0डी0 सं0-026335, दिनांक 16.08.2018 ₹0 1,47,070/- (रूपये एक लाख सैंतालीस हजार सत्तर मात्र) को निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के पक्ष में जब्त करते हुए नियमावली के नियम 28 क (2) के प्राविधानानुसार कोटिक्रम में द्वितीय ई-नीलामी बोलीदाता H2 श्री प्रदीप सिंह (M171226145837093) को उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 28 (क) उपनियम (1) के अनुसार तीन दिन के अन्तर्गत बोली गई अधिकतम उच्चतम बोली ₹0 1,03,70,046.00 (₹0 एक करोड तीन लाख सत्तर हजार छियालीस मात्र) का दस प्रतिशत धनराशि सफल बोलीदाता धनराशि अर्थात ₹0 10,37,005.00 (₹0 दस लाख सैंतीस हजार पांच मात्र) एवं नियम- 28 ख (3) के अनुसार सात कार्यदिवसों के अन्तर्गत दस प्रतिशत धनराशि प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक धनराशि अर्थात ₹0 10,37,005.00 (₹0 दस लाख सैंतीस हजार पांच मात्र) विभागीय लेखा शीर्षक में जमा कराते हुए ट्रेजरी चालान की प्रति एवं विभागीय वेबसाईट में पंजीकरण के दौरान प्रेषित समस्त अभिलेखों की मूल प्रतियां कार्यालय में जमा किये जाने हेतु कार्यालय ज्ञाप संख्या 1898/ई-निविदा सह ई-नीलामी/भू0खनि0ई0/चमोली/2018-19, दिनांक 27 नवम्बर, 2018 के द्वारा अवसर प्रदान किया गया। H2 ई-नीलामी बोलीदाता श्री प्रदीप सिंह द्वारा कार्यालय ज्ञाप संख्या 1898/ई-निविदा सह ई-नीलामी/भू0खनि0ई0/चमोली/2018-19, दिनांक 27 नवम्बर, 2018 का अनुपालन न करते हुए उच्चतम बोली धनराशि का 10 प्रतिशत "सफल बोलीदाता धनराशि" एवं उच्चतम बोली धनराशि का 10 प्रतिशत "प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक धनराशि" निर्धारित समयान्तर्गत जमा नहीं कराई गई है तथा कार्यालय भूवैज्ञानिक, जिला टास्क फोर्स कार्यालय, चमोली के पत्र संख्या 338/जि0टा0फो0च0/रू0/ई0निवि0/2018-19, दिनांक 17 दिसम्बर, 2018 के द्वारा अवगत कराया गया है कि भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र संख्या 1898/ई-निविदा सह ई-नीलामी/भू0खनि0ई0/चमोली/2018-19, दिनांक 27 नवम्बर, 2018 के द्वारा खनन लॉट में द्वितीय बोलीदाता श्री प्रदीप बर्तवाल द्वारा कार्य करने में असमर्थता व्यक्त की गयी है तथा किसी अन्य को कार्य प्रदान किये जाने में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होना अवगत कराया गया है। उक्त के दृष्टिगत नियमावली के नियम 28क(2) के प्राविधानानुसार H2 ई-नीलामी बोलीदाता श्री प्रदीप सिंह को उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 28 (क) उपनियम (1) एवं नियम- 28क(3) के अन्तर्गत कार्यवाही न किये जाने पर असफल ई-नीलामी बोलीदाता घोषित करते हुए जमा अर्नेस्ट मनी सिडिंकैट बैंक द्वारा जारी डी0डी0 सं0-779755, दिनांक 21.08.2018 ₹0 1,47,070/- (रूपये एक लाख सैंतालीस हजार सत्तर मात्र) को निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के पक्ष में जब्त किया जाता है।

उपरोक्त तालिका-3 के क्रमांक-1 के बोलीदाता H1 श्री दर्शन सिंह बर्तवाल की बोली धनराशि ₹0 1,03,99,456.00 (₹0 एक करोड तीन लाख निम्नानवें हजार चार सौ छप्पन मात्र) एवं H3 श्री हरी सिंह रावत की बोली धनराशि ₹0 15,02,931.00 (₹0 पन्द्रह लाख दो हजार नौ सौ इकतीस मात्र) है। उक्त बोलीदाताओं के बीच कुल ₹0 88,67,115.00 (₹0 अठासी लाख सडसठ हजार एक सौ पन्द्रह मात्र) का अन्तर है।

उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 28क(2) के अनुसार उत्तरोत्तर कोटिक्रम का अनुपालन करते हुए अन्तिम सफल बोलीदाता तक प्रक्रिया सम्पन्न कर सफल पाये गये ई-नीलामी बोलीदाता की घोषणा निदेशक द्वारा की जायेगी।

उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 29क(24) के अनुसार ई-निविदा सह ई-नीलामी प्रक्रिया के दौरान ऐसा प्रकरण जिसका उल्लेख इस शासनादेश में वर्णित किया जाना रह गया हो अथवा पूर्णतः स्पष्ट न किया जा सका हो, ऐसे प्रकरणों पर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई को अन्तिम निर्णय लेने हेतु प्राधिकृत किया गया है, निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई का निर्णय अन्तिम होगा एवं सर्वपक्षों का मान्य होगा।

अतः उपरोक्तानुसार H1 व H2 को उपखनिज क्षेत्र आवंटित किये जाने का अवसर प्रदान करने पर उनके द्वारा वांछित कार्यवाही न किये जाने तथा H1 व H3 की बोली धनराशि में रू0 88,67,115.00 (रू0 अठासी लाख सडसठ हजार एक सौ पन्द्रह मात्र) का अत्यधिक अन्तर होने के कारण जनपद एवं चमोली के ग्राम बांजबगड, क्षेत्रफल 0.764 है0 उपखनिज लॉट की पूर्व ई-निविदा सह ई-नीलामी प्रक्रिया को राजस्व हित में निरस्त किया जाता है तथा उक्त लॉट हेतु पुनः ई-निविदा सह ई-नीलामी की प्रक्रिया शीघ्र विज्ञापित की जायेगी।

भवदीय


(डॉ० मेहरबान सिंह बिष्ट)
निदेशक